

कार्यालय कलेक्टर जिला भिण्ड

// आदेश //

भिण्ड, दिनांक 03/11/2017

क्र./स्था./जि.ई./2017: 776 म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय आदेश क्रमांक एफ-2-10/2012/सात/4-ए भोपाल दिनांक 11.09.2014 के अध्याधीन लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम 2010 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये राजस्व विभाग अंतर्गत जिला स्तर पर कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद हेतु निश्चित वेतन राशि रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र) प्रतिमाह के मान से निर्धारित भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत गठित चयन समिति द्वारा दिनांक 30/10/2017 को प्रसारित अभ्यर्थी की मेरिट सूची के आधार पर स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (लोकसेवा) के पद पर वर्णित शर्तों के अध्याधीन पदस्थ किया जाता है, चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से वरियताक्रम के आधार पर वर्गवार निम्नलिखित अभ्यर्थियों को कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष से अवधि के लिए संविदा नियुक्ति दी जाती है :-

क्र.	अभ्यर्थी/पिता का नाम	वर्तमान पता	मोबाईल नम्बर	वर्ग	नियुक्ति संवर्ग	लिंग	पदस्थापना स्थल
1	2	3	4	5	6		
1	सुश्री सोनाली जैन, पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार जैन	वार्ड नं. 33 सदर बाजार, मेघा टाइपिंग वाली गली, भिण्ड	9826567618	अनारक्षित महिला	अनारक्षित	महिला	तहसीलदार कार्यालय गोरमी
2	सुश्री सुमन पुत्री श्री रामसेवक	119, सुभाष नगर मुरैना, तहसील मुरैना	9340828986	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय गोहद
3	श्री सुन्दर शाक्य पुत्र श्री सुमेर शाक्य	रेखा नगर, विद्यावती कॉलेज भिण्ड	8305606701	अनुसूचित जाति पुरुष	अनुसूचित जाति	पुरुष	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय लहार

नियुक्ति शर्तें:-

1. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा।
2. नियुक्ति के पश्चात जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी (सी.एम.एच.ओ.) का (फिटनेस) चिकित्सा प्रमाण-पत्र, कार्य पर उपस्थित होने के अधिकतम 07 दिन की अवधि में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त संविदा कर्मचारी की सेवाएं निर्धारित अवधि के एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकेंगी। इस हेतु जिला कलेक्टर सक्षम अधिकारी होंगे।
4. नियुक्त संविदा कर्मचारी एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।
5. नियुक्त संविदा कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कार्यालय से संबंधित कोई सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति/संस्था/विभाग या किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
6. कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

2

7. नियुक्त संविदा व्यक्तियों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम लागू होंगे।
8. नियुक्त संविदा कर्मचारी को शासन/कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे।
9. नियुक्ति पत्र प्राप्त करने की दशा में 15 दिवस के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
10. नियुक्त संविदा कर्मचारी की आधारभूत एवं उसके दायित्वों से संबंधित प्रशिक्षणों में भाग लेना अनिवार्य होगा।
11. नियुक्त संविदा कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी भी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति, बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जावेगी।
12. नियुक्त संविदा कर्मचारी को कदाचार या किसी अपराधिक क्रियाकलाप के संलग्न होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेंगे।
13. नियुक्ति संविदा कर्मचारी उसके पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा। यदि संविदा पर नियुक्ति कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
14. संविदा अवधि एक वर्ष के लिए होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा। जिससे उनको कार्य स्तर आदि का मूल्यांकन हो सकें। गोपनीय प्रतिवेदन एवं कार्य मूल्यांकन के आधार पर आगामी वर्ष हेतु नियुक्ति पर विचार किया जायेगा।
15. संविदा अवधि में वृद्धि शासन निर्देशानुसार तथा आवश्यकता एवं उपयुक्तता होने पर विचार किया जायेगा।
16. वार्षिकी मूल्यांकन हेतु प्रपत्र पृथक निर्देश से जारी किये जावेंगे।
17. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासकीय यात्रा भत्ता की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसे किसी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को होती है।
18. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिवस आकस्मिक अवकाश तथा 15 दिवस चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। अवकाश का उपयोग जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति से किया जायेगा। बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर रहने/अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति की अवधि का वेतन देय नहीं होगा।
19. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमानुसार एक वर्ष में 15 दिन के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। चिकित्सा अवकाश न लिए जाने की स्थिति में इस आगामी वर्ष में नहीं जोड़ा जावेगा।
20. संविदा के अंतर्गत ई.पी.एफ. कटोत्रा के सम्बन्ध में ई.पी.एफ. फण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1952 के प्रावधान लागू होंगे।
21. संविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह की पात्रता नहीं होगी।
22. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमितीकरण की पात्रता नहीं होगी ओर वह भविष्य में नियमितीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा। इस शर्त का नियुक्ति आदेशों में स्पष्टतः उल्लेख किया जावेगा।
23. दस्तावेजों का सत्यापन चयन समिति/सम्बन्धित जारीकर्ता कार्यालय के माध्यम से कराया जावेगा। फर्जी दस्तावेजों पर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
24. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित किया जायेगा।
25. किसी भी विवाद की स्थिति में संबंधित जिले के कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


कलेक्टर
जिला भिण्ड

पृ.क्र./स्था./जि.ई./2017/777

भिण्ड, दिनांक 03/11/2017

प्रतिलिपि:

1. सचिव म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, म.प्र. शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख राजस्व आयुक्त म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. आयुक्त, चम्बल सम्भाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी भिण्ड की ओर जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड, भोपाल, की ओर भेजकर लेख है कि उक्त नियुक्ति आदेश एमपी ऑनलाईन के पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
8. प्रभारी अधिकारी वित्त/लोक सेवा प्रबंधन विभाग/नजारत शाखा जिला कार्यालय भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला भिण्ड, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)जिला भिण्ड की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. उप कोषालय अधिकारी..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. तहसीलदार तहसील जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सम्बन्धि श्री/सुश्रीकी ओर पालनार्थ।


कलेक्टर
जिला भिण्ड